

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली बहरोड़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस
प्रकरण संख्या : 22/2025 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

मैसर्स पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड पुराना नाम दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय यूनिट संख्या 01 और 09, ग्राउण्ड फ्लोर, जीडी-आईटीएल नार्थ एक्स टॉवर, प्लॉट नम्बर ए-9, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पंकज कश्यप।
.....प्रार्थी कम्पनी/सिक्वोर क्रेडियर

बनाम

- जितेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी गांव निहालपुरा, अकलीमपुर, अलवर, राजस्थान-301703 अन्य पता प्लैट नं० 305, फ्लोर नं० 3, टॉवर-8, टीएचडी रॉयल कोर्ट, अपना घर बिल्डवेड प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना, अलवर नया जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान-301706
- प्रीतम सिंह पुत्र शेर सिंह गांव निहालपुरा, अकलीमपुर, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान-301703

.....अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट - 2002, जिसे एतद पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:-विकास शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 14.10.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियों करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उद्बोधित किया गया है। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पंकज कश्यप को न्यायालय एवं अर्द्ध-न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियों करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया है। प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थी/ऋणी ने लोन फ़ैसिलिटी से 18,12,616/- रुपये (अक्षरे अठारह लाख बारह हजार छह सौ सोलह रुपये मात्र) में लोन के बाबत प्राप्त किए तथा अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति प्लैट नं० 305, फ्लोर नं० 3, टॉवर-8, टीएचडी रॉयल कोर्ट, अपना घर बिल्डवेड प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान-301706 में स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से प्रार्थी कम्पनी ने उक्त लोन खाते को दिनांक 08.08.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी ने ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 25.09.2023 एवं रजि० दिनांक 28.09.2025 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी ने दो स्थानीय अखबार में 13(2) सरफेसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन करवाया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को सम्पूर्ण बकाया राशि या सम्पत्ति कब्जा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह-ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को राशि 18,12,616/- रुपये (अक्षरे अठारह लाख बारह हजार छह सौ सोलह रुपये मात्र) स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति



जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किये जाने उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी जितेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह (ऋणी) एवं प्रीतम सिंह पुत्र शेर सिंह (सहऋणी) की अचल सम्पत्ति फ्लैट नं0 305, फ्लोर नं0 3, 1 बीएचके एरिया, 650 वर्गफुट, टॉवर-8, रॉयल कोर्ट, नीमराना, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
6. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. यह आदेश आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर पुरे इ.प.सु. सुनाया गया।



(प्रियंका गीस्वामी)
जिला कोटपूतली-बहरोड़ मजिस्ट्रेट
कोटपूतली-बहरोड़